फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर

श्रीमती कमलादेवी
बनाम
प्रबन्धक, पाली मारवाड सोलर हाउस प्राईवेट लि. वगै.

किस्म मुकदमा 225 आर.टी एक्ट न. 58 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2020	मुख्यालय बाड़मेर का पद रिक्त होने से अपील पत्रावली प्रथम लिंक अधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष बाद जांच होकर पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उप.। अपील राजस्थान काश्तकारी एक्ट 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 87/2020 बअनवान कमला बनाम प्रबन्धक, पाली मारवाड सोलर वगै. में पारित आदेश दिनांक 23.10.2020 के विरूद्ध पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की स्थगन प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कंपनी रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा The electricity Act 2003 के तहत सक्षम स्तर से कार्य स्वीकृति ले रखी है। इस दृष्टि से विप्रार्थीगण राज्य सरकार से प्रदत्त विधि सम्मत स्वीकृति के तहत कार्यवाही करने हेतु अधिकृत है। विप्रार्थीगण की उक्त कार्यवाही से प्रार्थीगण यदि किसी भी रूप में व्यथित है तो वे उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत सक्षम/अधिकृत प्राधिकारी को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते है। वे उक्त अधिनियम के तहत विहित रिति से, यदि हो तो, केवल फसल या संपति के नुकसान की भरपाई के हकदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट को आपति है तो वह सक्षम स्तर पर चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है। न्यायालय हाजा से अपीलांट को किसी प्रकार की अनुतोष दिया जाना विधि सम्मत एवं न्यायसंगत नहीं ठहरता है। अतः अपीलांटगण द्वारा पेश स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	O.A.

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर